राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 74/2019 दायर दिनांक– 05.12.2019

जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2019/00119 निर्णय दिनांक– 04.01.2024

1. देवकरण पुत्र काना दत्तक पुत्र घीसा
2. नाथूलाल पुत्र मोहनराम
3. केसर पत्नि काना
4. झमकू पत्नि घीसा
5. लाली पुत्री मोहनराम
6. शंकर पुत्र मोहनराम
7. शांति देवी पत्नि मोहनराम
8. सन्जू पुत्री मोहनराम

सर्वजाति कुम्हार, सर्वनिवासी ग्राम रूपनगढ़ तह0 रूपनगढ़ .....प्रार्थीगण

बनाम

1. बोदूराम पुत्र रामचन्द्र
2. रामदेव पुत्र रामचन्द्र
3. नोरत पुत्र रामचन्द्र
4. श्याणी पुत्री रामचन्द्र

सर्वजाति कुम्हार, सर्वनिवासी ग्राम रूपनगढ़ तह0 रूपनगढ़

5. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर
6. उपपंजीयक रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ .....अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:1. श्री शांतिलाल ढ़ेल अधि0 प्रार्थीगण

2 श्री इन्द्रेश के रामचन्दानी अप्राथी सं. 2

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 1 से 8 व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम रूपनगढ़ पटवार हल्का रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ स्थित ख0न0 1276, 1277, 1278, 1281 व 1293 कुल किता 5 कुल रकबा 1.3103 है0 भूमि अवस्थित है जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का राजस्व रिकार्ड अनुसार हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के मध्य मौके पर मय नींव, सींव अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी का नाप–चौक क़र विभाजन किया हुआ तथा मौके पर सभी अपने–अपने हिस्सेअनुसार काबिज चले आ रहे है तथा हिस्सेअनुसार मकानात व बाड़ा भी बना रखे है। राजस्व रिकार्ड में वाद वर्णित आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के मध्य उक्त कृषि भूमि को मौके पर मय नींव, सींव बंटवारा हो रखा है किन्तु खाता संयुक्त होने से उनके मध्य आये दिन बुवाई–जुताई व लगान जमा कराने को लेकर विवाद होता रहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.11 13:24:28 IST
Reason: SelfAttested

04/01/24

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को आपसी सहमति बंटवारा करवाने हेतु कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने इनकार कर दिया व उक्त संयुक्त भूमि का बिना विभाजन बैचान करने की धमकियां दी। इसलिए उक्त भूमि का मौके पर काबिजअनुसार, हिस्सेअनुसार विभाजन किये जाने अलग खाता, खसरा कायम किये जाने हेतु वाद पेश किया गया है। वकील प्रार्थीगण की ओर से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 उक्त भूमि के बैचान, हस्तान्तरण करने पर आमादा है इसलिए इन्हें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने व प्रार्थीगण की भूमि के उपयोग में बाधाकारित नहीं करने हेतु पाबंद करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने प्रकरण में जवाब पेश किया। पैरोकार सरकार ने प्रकरण में किसी तरह का राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण व पैराकार सरकार की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि संयुक्त खातेदारी की भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 से 4 बैचान, हस्तान्तरण करने को उतारू है व प्रार्थीगण की भूमि के उपयोग–उपयोग में बाधा उत्पन्न करते है, इसलिए जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है।अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया वाद वर्णित आराजी में दोनो पक्षों को बैचान, अन्तरण नहीं करने हेतु पाबंद किया जावें। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब को ही बहस के तथ्य माने जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष अधिवक्ता व पैरोकार सरकार तहसीलदार की बहस पर मनन किया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होते है। तदनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपनगढ़ स्थित ख0न0 1276, 1277, 1278, 1281 व 1293 कुल किता 5 कुल रकबा 1.3103 है0 भूमि में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु उभयोपक्षों को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.11 13:24:28 IST
Reason: SelfAttested

04/01/24

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधि… रूपनगढ़ (अज…